

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 254 / 09

संस्थित दि.: 21 / 05 / 09

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

फूलाराम पिता अन्तराम उम्र 69 साल, जाति चमार,
साकिन जोरली तहसील साहवाड जिला कुरुक्षेत्र,
राज्य हरियाणा हाल मुकाम सियाल ट्रान्सपोर्ट मोहाली चण्डीगढ़ी..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिवनांक 24 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 18.04.2009 को सुबह 09:00 बजे पाण्डुतला बैरियर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत रायपुर जबलपुर लोकमार्ग पर अपने वाहन ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मृतिका राधिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जोहरसिंह ने दिनांक 08.04.2009 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 08.04.2009 को रायपुर जबलपुर लोकमार्ग एन.एच.12 आर.टी.ओ बैरियर के सामने ग्राम ग्राम पाण्डुतला थाना गढ़ी में करीब 09:00 बजे मजदूर के साथ काम कर रहा था। उसकी छः वर्ष की बच्ची राधिका रोड के साईड में खेल रही थी। नया ट्रैक्टर बिना नम्बर के चालक ने ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी लड़की राधिका को टक्कर मार दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में नया ट्रैक्टर बिना नम्बर नीले कलर के ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 22 / 09 अन्तर्गत धारा

279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी फूलाराम से ट्रैक्टर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर उपचार के दौरान राधिका की मृत्यु हो जाने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का इजाफा कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304ए के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है वह निर्दोष है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 18.04.2009 को सुबह 09:00 बजे पाण्डुतला बैरियर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत राजपुर जबलपुर लोकमार्ग पर अपने वाहन ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मृतिका राधिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

(06) अभियोजन साक्षी जोहरसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन के डेढ़ वर्ष पुरानी सुबह 09:00 बजे ग्राम पाण्डुतला बैरियर के पास की है। वह घटना दिनांक को बैरियर के पास रायपुर लोकमार्ग पर काम कर रहा था। ट्रैक्टर के ड्रायवर ने उसकी बच्ची को रॉन्ग साईड जाकर टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी

बच्ची की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। ड्रायवर ने उसका नाम फूलाराम बताया था। दुर्घटना ड्रायवर की गलती से हुई थी।

(07) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी गंगाराम (अ.सा.01), समारोबाई (अ.सा.04), चन्द्रवतीबाई (अ.सा.05), विमलाबाई (अ.सा.11) का भी कहना है कि घटना उनके कथन के एक वर्ष पुरानी सुबह 09:00 बजे पाण्डुतला के पास रायपुर लोकमार्ग बैरियर के किनारे की है। मण्डला से आरोपी रायपुर ट्रेक्टर ले जा रहा था रोड के किनारे बच्ची खेल रही थी। आरोपी ने तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर को चलाकर टक्कर मार दी थी, जिससे बिछिया अस्पताल में उपचार के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी।

(08) अभियोजन साक्षी खेलसिंह (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 18.04.2009 को सहायक उपनिरीक्षक एच.एल.मडावी ने फरियादी जोहरसिंह की सूचना पर आरोपी ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध थाना बिछिया में अपराध क्रमांक 0/09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया और असल कायमी एवं क्षेत्राधिकार गढ़ी थाने का होने से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में असल अपराध क्रमांक 22/09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया, जो प्रदर्श पी-04 है। इसी प्रकार मोहनलाल (अ.सा.07) का कहना है कि उसने थाना बिछिया में अपराध क्रमांक 0/09 की केश डायरी प्राप्त होने पर प्रदर्श पी-04 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

(09) अभियोजन साक्षी बी.पी.दुबे (अ.सा.08) का कहना है कि उसने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-05 बनाया था। साक्षी समारोबाई, रामबती, चन्द्रवती, विमलाबाई, जोहरसिंह, गंगाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फूलाराम से गवाहों के समक्ष स्वराज कम्पनी का ट्रेक्टर सफेद नीले रंग मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 बनाया था। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन साक्षी रमलसिंह (अ.सा.10) का कहना है कि उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई।

(10) अभियोजन साक्षी डॉ.दिनेश शाडिल्य (अ.सा.09) का कहना है कि उसने

दिनांक 18.04.2009 को राधिका का मुलाहिजा करने पर निम्न चोट पाई :- सिर में चोट लगी हुई थी जो बेहोशी की हालत में थी, दांये टेम्पोरलरिजन में इन साईज घाव था ठीक उसके नीचे कटा फटा घाव था। चोट क्रमांक 1 व 2 गम्भीर प्रकृति की थी। आगामी उपचार हेतु मण्डला रिफ्र किया था उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। एकसरे में सिर के पीछे की हड्डी में (आक्सीपेटल) बोन में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एकसरा रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(11) अभियोजन साक्षी डॉ.आर.पी.प्यासी (अ.सा.12) का कहना है कि उसने दिनांक 19.04.2009 को मृतिका राधिका का शव परीक्षण किया और बाह्य परीक्षण में सिर के दाहिने ऑक्सीपिटल पैराईटल भाग में कटा-फटा घाव, नील के निशान, खरौंच एवं सिर के दाहिने भाग, गले में दाहिने कंधे पर दाहिने पैर में खरौंच, रगड एवं नील के निशान होना पाया था। आन्तरिक परीक्षण में खोपड़ी की दाहिने आक्सीपिटल एवं पैराईटल हड्डी में संयुक्त फ्रेक्चर मस्तिक एवं सिर में आयी चोट के कारण सख्त एवं बोथरी होना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी कार्यवाही की है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात है। अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी खेलसिंह (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 18.04.2009 को सहायक उपनिरीक्षक एच.एल.मडावी ने फरियादी जोहरसिंह की सूचना पर आरोपी ट्रेक्टर चालक के विरुद्ध थाना बिछिया में अपराध क्रमांक 0 / 09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया और असल कायमी एवं क्षेत्राधिकार गढ़ी थाने का होने से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में असल अपराध क्रमांक 22 / 09 अन्तर्गत धारा

279, 337 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया, जो प्रदर्श पी-04 है। इसी प्रकार मोहनलाल (अ.सा.07) का कहना है कि उसने थाना बिछिया में अपराध क्रमांक 0/09 की केश डायरी प्राप्त होने पर प्रदर्श पी-04 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

(15) अभियोजन साक्षी बी.पी.दुबे (अ.सा.08) का कहना है कि उसने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-05 बनाया था। साक्षी समारोबाई, रामबती, चन्द्रवती, विमलाबाई, जोहरसिंह, गंगाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फूलाराम से गवाहों के समक्ष स्वराज कम्पनी का ट्रेक्टर सफेद नीले रंग मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 बनाया था। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(16) अभियोजन साक्षी डॉ. दिनेश शाडिल्य (अ.सा.09) का कहना है कि उसने दिनांक 18.04.2009 को राधिका का मुलाहिजा करने पर निम्न चोट पाई :- सिर में चोट लगी हुई थी जो बेहोशी की हालत में थी, दांये टेम्पोरलरिजन में इन साईज घाव था ठीक उसके नीचे कटा फटा घाव था। चोट क्रमांक 1 व 2 गम्भीर प्रकृति की थी। आगामी उपचार हेतु मण्डला रिफ्र किया था उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। एक्सरे में सिर के पीछे की हड्डी में (आक्सीपेटल) बोन में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरा रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(17) अभियोजन साक्षी डॉ.आर.पी.प्यासी (अ.सा.12) का कहना है कि उसने दिनांक 19.04.2009 को मृतिका राधिका का शव परीक्षण किया और बाह्य परीक्षण में सिर के दाहिने ऑक्सीपिटल पैराईटल भाग में कटा-फटा घाव, नील के निशान, खरौंच एवं सिर के दाहिने भाग, गले में दाहिने कंधे पर दाहिने पैर में खरौंच, रगड एवं नील के निशान होना पाया था। आन्तरिक परीक्षण में खोपड़ी की दाहिने आक्सीपिटल एवं पैराईटल हड्डी में संयुक्त फ्रेक्चर मस्तिक एवं सिर में आयी चोट के कारण सख्त एवं बोथरी होना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(18) अभियोजन साक्षी जोहरसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके

कथन के डेढ़ वर्ष पुरानी सुबह 09:00 बजे ग्राम पाण्डुतला बैरियर के पास की है। वह बैरियर के पास रायपुर लोकमार्ग पर काम कर रहा था। ट्रैक्टर के ड्रायवर ने उसकी बच्ची को रॉन्ग साईड में ट्रैक्टर ले जाकर टक्कर मार दी थी। उसकी बच्ची अस्पताल में उपचार के दौरान फौत हो गई थी। ड्रायवर ने उसका नाम फूलाराम बताया था। दुर्घटना ड्रायवर की गलती से हुई थी किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि ड्रायवर ने उसका नाम उषाराम बताया था। उसने घटना होते हुए नहीं देखा।

(19) अभियोजन साक्षी गंगाराम (अ.सा.01), समारोबाई (अ.सा.04), चन्द्रवतीबाई (अ.सा.05), विमलाबाई (अ.सा.11) का भी कहना है कि घटना उनके कथन के एक वर्ष पुरानी सुबह 09:00 बजे पाण्डुतला के पास रायपुर लोकमार्ग बैरियर के किनारे की है। मण्डला से आरोपी रायपुर ट्रैक्टर ले जा रहा था रोड के किनारे बच्ची खेल रही थी। आरोपी ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाकर टक्कर मार दी थी, अस्पताल में उपचार के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी किन्तु साक्षी गंगाराम (अ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना हो गई तब वह देखने के लिये गया था। ट्रैक्टर कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम तथा साक्षी चन्द्रवतीबाई (अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना होने के बाद उसका ध्यान दुर्घटना हुई वहां गया था। बच्ची ट्रैक्टर में किस भाग में टकराई उसने नहीं देखा। ट्रैक्टर कैसे चला रहा था उसे मालूम नहीं तथा अभियोजन साक्षी समारोबाई (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि दुर्घटना उसने नहीं देखी।

(20) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी जोहरसिंह (अ.सा.02), गंगाराम (अ.सा.01), समारोबाई (अ.सा.04), चन्द्रवतीबाई (अ.सा.05), विमलाबाई (अ.सा.11) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी जोहरसिंह (अ.सा.02), गंगाराम (अ.सा.01), समारोबाई (अ.सा.04), चन्द्रवतीबाई (अ.सा.05), विमलाबाई (अ.सा.11) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से एवं जप्ती का साक्षी रमलसिंह के द्वारा भी अभियोजन का समर्थ नहीं करने से अभियोजन का प्रकरण विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी फूलाराम

ने दिनांक 18.04.2009 को सुबह 09:00 बजे पाण्डुतला बेरियर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत रायपुर जबलपुर लोकमार्ग पर अपने वाहन ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मृतिका राधिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जों आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी फूलाराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी फूलाराम पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(24) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर जिसका मॉडल क्रमांक 834 इंजन नम्बर 351004/एस.एफ.डी.0244, चैचीस नम्बर यु.यु.डी.ई.22405010955 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)